CAAE– 22 (H)

सहायक लेखा अधिकारी सामूहिक परीक्षा, 2017

दिसम्बर, 2018

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 150*

अनुमत पुस्तकें :

(1) मूल नियमावली खंड I और II
(2) पूरक नियमावली
(3) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972
(4) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972
(5) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960
(6) छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली
(7) पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से संबधित वेतन निर्धारण आदेश
(8) केन्द्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2016

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

(1) स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिल फार्म
(2) छुट्टी लेखा फार्म

टिप्पणियां :

(i) प्रश्न संख्या **1** तथा **2** अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।

(ii) जहाँ संभव हो, अपने उत्तर के समर्थन में प्राधिकार का उल्लेख करें।

(iii) इस प्रश्न पत्र में **3** पृष्ठ और **7** प्रश्न हैं।

1. निम्नलिखित ब्योरे से वेतन स्तर–11 में 74,000 रू0 प्रति माह वेतन आहंरित करने वाले केंद्रीय सरकार के एक कर्मचारी का 2 जून, 2018 को स्टेशन "ए" से "बी" पर स्थानांतरण होने पर उसे स्वीकार्य स्थानांतरण यात्रा भत्ते की गणना कीजिये।

   (i) उसके परिवार में पत्नी, एक 23 वर्षीय अविवाहित पुत्री, एक 17 वर्षीय भाई, एक 18 वर्षीय साला और एक घरेलू नौकर है। सभी उस सरकारी कर्मचारी के साथ रहते है और उस पर निर्भर है।

   (ii) उसने अपनी पत्नी, 23 वर्षीय पुत्री, 18 वर्षीय साले और घरेलू नौकर के साथ एसी–2 टायर स्लीपर में रेल द्वारा यात्रा की। वे स्टेशन "ए" से 12 जून, 2018 को अपराहन 4 बजे रवाना हुए और 13 जून, 2018 को अपराहन 5 बजे स्टेशन "बी" पहुंचे। स्टेशन "ए" से स्टेशन "बी" तक का एसी 2 टायर स्लीपर का रेल का प्रति व्यक्ति किराया 2170/– रू0 है।

   (iii) अधिकारी का 5000 किग्रा व्यक्तिगत सामान 11 जून, 2018 को सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा 35,000/– रू0 की अदायगी पर स्टेशन "ए" से स्टेशन "बी" पर ले जाया गया। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1500 किमी0 है। वेतन स्तर–11 के अधिकारी के लिए व्यक्तिगत सामान के परिवहन की दर 50/– रू0 प्रति किमी0 है।

   (iv) अधिकारी की कार को स्टेशन "ए" से स्टेशन "बी" तक सड़क मार्ग से (1500 किमी0) चलाकर ले जाया गया। कार में अधिकारी के भाई ने यात्रा की। कार स्टेशन ए से 14 जून, 2018 को रवाना हुई और 16 जून, 2018 को स्टेशन "बी" पर पहुंची। कार का यात्री गाड़ी से स्टेशन "ए" से स्टेशन "बी" तक का परिवहन प्रभार 26,000/– रू0 है। संबंधित परिवहन निदेशालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर 25/– रू0 प्रति किमी0 है।

   (30 अंक)

2. निम्नलिखित ब्योरे से केंद्रीय सरकार के एक कर्मचारी को स्वीकार्य पेंशन, सेवानिवृति उपदान, पेंशन का अधिकतम अनुमत्य संराशीकृत मूल्य और परिवार पेंशन ज्ञात कीजिये:–

(i) जन्म की तारीख 20.11.1960

(ii) सरकारी सेवा ग्रहण करने की तारीख 09.06.1982

(iii) स्थायीकरण की तारीख 01.06.1984

(iv) अधिकारी कार्यग्रहण समय से 20 दिन तक नहीं आया जिससे उसकी पिछली सेवा को जब्त किये बिना अकार्य दिवस माना गया।

(v) अधिकारी 01.08.1986 से 30.09.1986 तक निलम्बित रहा। सक्षम प्राधिकारी ने इस अवधि को ड्यूटी पर बिताई गयी अवधि नहीं माना।

(vi) सेवा के दौरान उसने निम्नलिखित अवधि की छुट्टियां लीं:–

(क) 01.03.1984 से 31.03.1984 तक घर के निर्माण के लिए असाधारण छुट्टी।

(ख) 01.06.1989 से 30.04.1990 तक उच्च वैज्ञानिक अध्ययन के लिए असाधारण छुट्टी।

(ग) 22.07.2009 से 30.08.2009 तक इलाके में उत्तेजना फैली होने के परिणामस्वरूप पुनः कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण असाधारण छुट्टी।

(घ) 04.01.2010 से 31.01.2010 तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर असाधारण छुट्टी और उसके बाद 01.02.2010 से 30.06.2010 तक छुट्टी पर ठहरे रहे। छुट्टी से अधिक ठहरने की अवधि को अप्राधिकृत अनुपस्थिति माना गया। उसकी अनुपस्थिति के दौरान पद को भरा नहीं गया।

(vii) अधिकारी 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार वेतन स्तर–13 में 1,41,600/– रू0 प्रतिमाह वेतन आहरित कर रहा था और उसके वेतनवृद्धि की अगली तारीख 01.07.2016 थी।

(viii) उसने 01.04.2018 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवषति प्राप्त कर ली।

(ix) पेंशनभोगी की 20.07.2018 को मृत्यु हो गयी और वह अपने पीछे एक आश्रित पुत्र (जन्म की तारीख 20.08.1995) और एक आश्रित अविवाहित पुत्री (जन्म की तारीख 04.07.2002) को छोड़ गया।

(30 अंक)

3. निम्नलिखित ब्योरे से केंद्रीय सरकार के एक कर्मचारी की 31.08.2016 को अधिवर्षिता सेवानिवृति पर उसकी छुट्टी का लेखा तैयार करके उसकी अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी पात्रता ज्ञात कीजिये। साथ ही छुट्टी वेतन का रोकड़ समकक्ष ज्ञात कीजिये। वह वेतन स्तर–11 में 88,400/– रू0 प्रति माह वेतन आहरित कर रहा था। सेवानिवृति की तारीख को मंहगाई भत्ते की दर 2 प्रतिशत थी।

(क) 01.11.2013 को जमा अर्जित छुट्टी 284 दिन

(ख) 01.11.2013 को जमा अर्धवेतन छुट्टी 336 दिन

(ग) 02.11.2013 से 10.11.2013 तक अर्जित छुट्टी ली।

(घ) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 12.10.2013 से 24.11.2013 तक परिवर्तित छुट्टी ली।

(ड.) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 02.03.2014 से 30.05.2014 तक असाधारण छुट्टी ली।

(च) पिछली सेवा को जब्त किये जाने की अपरिहार्यता के बिना 07.08.2014 से 15.09.2014 तक की अप्राधिकृत अनुपस्थिति का अकार्य दिवस माना गया।

(छ) 01.03.2016 से 31.03.2016 तक अर्ध वेतन छुट्टी ली। *(30 अंक)*

4. केंद्रीय सरकार का एक कर्मचारी जो 15600 – 39100/– रू0 के वेतन बैंड–3 और 6600/– रू0 के ग्रेड वेतन में 26,210/– रू0 जमा 6600/– रू0 ग्रेड वेतन 01.01.2014 से प्राप्त कर रहा था और उसकी वेतन वृद्धि की अगली तारीख 01.07.2014 थी, 01.03.2015 से दो वर्ष की अवधि के लिए उसका वेतन घटाकर 24,350/– रू0 जमा ग्रेड वेतन 6600/– रू0 करने का दंड दिया गया। वेतन घटाने की अवधि का प्रभाव उसकी भावी वेतन

वृद्धियों को स्थगित करना नहीं होगा परंतु वेतन घटाने की अवधि के दौरान वह वेतन वृद्धि आहरित नहीं कर पायेगे। वेतनमान को 01.01.2016 से वेतन स्तर–11 के रूप में संशोधित कर दिया गया था। संशोधित वेतन ढांचे में, 01.07.2016 को वेतन वृद्धि की अगली तारीख सहित 01.01.2016 को उसका वेतन निर्धारण कीजिये और 30.06.2017 तक विनियमित कीजिये। *(30 अंक)*

5. अपने उत्तर के समर्थन में नियमों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिये:–

(क) न्यायालय द्वारा 01.04.2017 को मामले की मेरिट पर एक सरकारी कर्मचारी का बर्खास्त किया जाना रद्द कर दिया गया। उसे बहाल करने का आदेश 10.04.2017 (पूवाह्न) को जारी किया गया और उसने 10.04.2017 (पूर्वाह्न) को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यालय प्रमुख ने उससे कहा कि वह 01.04.2017 से 10.04.2017 तक की अवधि के लिये यथा स्वीकार्य छुट्टी के लिए आवेदन करे। *(10 अंक)*

(ख) श्री एक्स की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे एक विधवा, उससे उत्पन्न एक 4 वर्षीय पुत्र और उसकी प्रथम पत्नी जो कि उसके दूसरे विवाह से पहले दिवंगत हो गयी थी, से उत्पन्न 12 वर्षीय पुत्री छोड़ गया। कार्यालय प्रमुख ने परिवार पेंशन के तीन बराबर भाग करने का प्रस्ताव रखा है। जो जीवित विधवा, 4 वर्षीय पुत्र और पहली दिवंगत पत्नी से 12 वर्षीय पुत्री का प्रत्येक को एक–एक भाग दिया जाएगा। *(10 अंक)*

(ग) सेवा में त्यागपत्र देने वाले केंद्रीय सरकार के एक अस्थायी कर्मचारी ने अनुरोध किया कि उसके त्यागपत्र देने की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी की अवधि का उसे छुट्टी वेतन अदा कर दिया जाये। *(10 अंक)*

6. अपने उत्तर के समर्थन में नियमों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये:–

(क) (i) जीपीएफ (सीएस) नियमावली, 1960 के अधीन क्या नाना–नानी और सौतेले बच्चों को परिवार के सदस्य माना जाता है? *(3 अंक)*

(ii) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के एक बच्चे को जिसे कि किसी अन्य व्यक्ति को गोद दे दिया गया है, जीपीएफ (सीएस) नियमावली, 1960 के अधीन क्या उसे सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जायेगा। *(5 अंक)*

(ख) (i) केंद्रीय सरकार के एक स्थायी कर्मचारी का स्थानांतरण स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई का कर दिया गया है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1100 किमी0 है। उसे स्वीकार्य कार्यग्रहण की कुल अवधि क्या होगी? *(5 अंक)*

(ii) केंद्रीय सरकार के एक नियमित कर्मचारी को स्वीकार्य अधिकतम कार्यग्रहण अवधि क्या है? क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? यदि हां तो किन परिस्थितियों के अंतर्गत? *(9 अंक)*

(ग) केंद्रीय सरकार में नए भर्ती हुए कर्मचारी को एलटीसी की हकदारी क्या है? *(8 अंक)*

7. निम्नलिखित ब्योरे से एक अभिदाता का वर्ष 2015–16 के लिए सामान्य भविष्य निधि लेजर लेखा तैयार कीजिये और 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके खाते में जमा की जाने वाली ब्याज की राशि तथा अंत शेष ज्ञात कीजिये :–

(क) 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	5,00,000/– रू0
(ख) मासिक अभिदान	20,000/– रू0
(ग) 12.06.2015 को आहरण	50,000/– रू0
(घ) 13.09.2015 को अस्थायी अग्रिम जो 24 किश्तों में वापस लिया जायेगा	45,000/– रू0
(ङ) 19.02.2016 को निकासी	70,000/– रू0
(च) ब्याज की दर – 8.7 प्रतिशत	

(30 अंक)

CAAE– 22 (E)

COMMON ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER EXAMINATION, 2017

DECEMBER, 2018

SERVICE RULES (with Books)

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 150*

Books allowed :

(1) Fundamental Rules Vol.I & II.
(2) Supplementary Rules.
(3) Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(4) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
(5) General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960.
(6) Leave Travel Concession Rules.
(7) Orders Regading Fixation of Pay of Re-employed Pensioners.
(8) Central Civil Services Revised Pay Rules, 2016.

Forms to be supplied :

(1) Transfer TA Bill Form.
(2) Leave Account Form

Notes :

(1) Answer question nos. **1** and **2** which are compulsory and any **three** of the rest. Marks are indicated against each question.
(2) Quote relevant rules in support of your answer.
(3) This question paper contains **3** pages and **7** questions.

1. Calculate the Transfer travelling allowance of a Central Government Servant drawing Pay of Rs.74,000/- PM In Pay Level-11 on his transfer on 2nd June 2018 from Station 'A' to Station 'B' from the following particulars :

(i) His family consists of wife, one unmarried daughter Aged 23 years , one brother aged 17 years, one brother-in-law aged 18 years and one domestic servant. All are residing with and wholly dependent upon the Government Servant.

(ii) He along with his wife, daughter aged 23 years, brother-in-law aged 18 Years and domestic servant travelled by Rail in AC-2 Tier Sleeper. They left Station 'A' on 12th June, 2018 at 4:00 PM and reached Station 'B' on 13th June, 2018 at 5.00 PM. The Rail fare by AC-2 Tier Sleeper from Station 'A' to Station 'B' is Rs.2,170/- per person.

(iii) The Officer's personal effects 5000 KG were transported by road on truck on 11th June, 2018 from Station 'A' to Station 'B' on payment of Rs.35,000/-. The distance between both the station is 1500 KM. Prescribed rate for transportation of personal effect by road for Pay Level-11 Officer is Rs 50/- Per KM.

(iv) The Officer's car was transported under its own propulsion by road (1500 KM) from Station 'A' to Station 'B'. The brother of the officer travelled in car. The car left Station 'A' on 14th June, 2018 and reached Station 'B' on 16th June, 2018. The charges of transportation of car by passenger train on rail from Station 'A' to Station 'B' is Rs.26,000/-. The prescribed rate notified by the concerned Directorate of Transport is Rs.25/- Per KM.

(30 Marks)

2. Calculate the Pension, Retirement Gratuity, maximum permissible Commuted Value of Pension and Family Pension admissible to a Central Government Servant from the following particulars :

(i) Date of Birth — 20.11.1960

(ii) Date of Joining Government Service — 09.06.1982

(iii) Date of Confirmation — 01.06.1984

(iv) There was an Overstayal of joining time by 20 days which was treated as "dies-non" without entailing forfeiture of past service.

(v) He remained under suspension from 01.8.1986 To 30.09.1986. The competent authority did not treat this period as spent on duty.

(vi) He took the following spells of leave during the service

(a) Extraordinary leave for construction of house from 01.03.1984 to 31.03.1984.

(b) Extra Ordinary leave for higher scientific studies from 01.06.1989 to 30.4.1990.

(c) Extra Ordinary leave due to unable to rejoin duty due to civil commotion in the area from 22.07.2009 to 30.08.2009.

(d) Extra Ordinary leave on Medical Certificate from 04.01.2010 to 31.1.2010 followed by Overstayal of leave w.e.f. 01.02.2010 to 30.06.2010. The period of Overstayal was treated as unauthorised absence. Post was not filled during his absence.

(vii) He was drawing pay of Rs.1,41,600/- PM in Pay Level-13 as on 01.01.2016 with DNI on 01.07.2016.

(viii) He took voluntary retirement w.e.f. 01.04.2018 (FN).

(ix) The pensioner died on 20.07.2018 leaving behind one dependent son (DOB 20.08.1995) and one dependent unmarried daughter (DOB 04.07.2002).

(30 Marks)

3. Calculate from the following particulars the earned leave and half pay leave entitlement of a Central Government Servant on the date of his Superannuation Retirement on 31.08.2016 by preparing leave account. Also calculate cash equivalent of leave salary. He was drawing Pay of Rs. 88,400/- PM in the Pay Level -11. The rate of Dearness Allowance on the date of retirement was 2 %.

(a) Earned Leave at credit on 01.11.2013 — 284 days

(b) Half Pay Leave at credit on 01.11.2013 — 336 days.

(c) Availed Earned Leave from 02.11.2013 to 10.11.2013

(d) Availed commuted leave with medical certificate from 12.11.2013 to 24.11.2013.

(e) Availed Extra Ordinary Leave with Medical Certificate from 02.03.2014 to 30.05.2014.

(f) Unauthorised absence treated as 'dies-non" without entailing forfeiture of past service from 07.08.2014 to 15.09.2014.

(g) Availed Half Pay Leave from 01.03.2016 to 31.03.2016.

(30 Marks)

4. A Central Government Servant drawing pay of Rs. 26,210/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- in the Pay Band 3 of Rs.15,600-39,100/- & Grade Pay of Rs.6,600/- from 01.01.2014 with DNI on 01.07.2014 was awarded punishment of reduction of pay to the stage of Rs.24,350/- plus Grade Pay of Rs.6,600/- for a period of two years from 01.03.2015. The period of reduction will not have the effect of postponing his future increments but during the period of reduction he will not draw increments. The scale of pay was revised w.e.f. 01.01.2016 as Pay Level-11. He elected revised pay structure w.e.f. 01.01.2016. Fix his pay in the revised pay structure on 01.01.2016 with DNI on 01.07.2016 and regulate till 30.06.2017. *(30 Marks)*

5. Comments on the following quoting rules in support of your answer ;

(a) Dismissal of a Government Servant was set aside by the Court of Law on the merit of the case on 01.04.2017. The Order reinstating him was issued on 10.04.2017 (AN) and he joined duty on 10.04.2017 (A/N) itself. The Head of Office asked him to apply for leave as admissible for the period from 01.04.2017 to 10.04.2017. *(10 Marks)*

(b) Mr. "X" died leaving behind a widow, a son aged 4 years from her and a daughter aged 12 years from his first wife who died earlier to his second marriage. The Head of Office proposes three equal shares of family pension one each to surviving widow, son aged 4 years and daughter aged 12 years from first deceased wife. *(10 marks)*

(c) A temporary Central Government servant who resigns from service requested that he may be paid leave salary for the period of earned leave at his credit on the date of his resignation. *(10 marks)*

6. Answer the following questions quoting rules in support of your answer.

(a) (i) Are maternal grandparent and step children recognised as Members of "Family" under GPF(CS) Rules, 1960? *(3 marks)*

(ii) Is a child of a Central Government Servant given away in adoption to another person considered as member of "Family" of the Government Servant under GPF (CS) Rules 1960. *(5 marks)*

(b) (i) A permanent Central Government Servant has been transferred from Station "X" to Station "Y". The distance between the two stations is 1100 K.M. What will be the total period of joining time admissible to him? *(5 Marks)*

(ii) What is the maximum period of joining time admissible to a regular Central Government Servant? Can it be extended? If So, under what circumstances? *(9 Marks)*

(c) What are the LTC entitlements of a fresh recruit in Central Government. *(8 Marks)*

7. From the following details construct the GPF ledger accounts for the year 2015-16 and work out the amount of interest to be credited to the GPF account of the subscriber and closing balance for the year ending 31.3.2016.

a) Opening balance as on 01.04.2015 — Rs. 5,00,000/-

b) Monthly Subscription — Rs. 20,000/-

c) Withdrawal on 12.06.2015 — Rs. 50,000/-

d) Temporary advance on 13.09.2015 recoverable in 24 instalments – Rs. 45,000/-

e) Withdrawal on 19.02.2016 — Rs. 70,000/-

f) Rate of Interest — 8.7%

(30 Marks)